राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर।

नि र्ण य

न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि. बनाम श्रीमती भगवती देवी वगैरा।
(1) (एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या-1333/2007)
न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि. बनाम श्रीमती विद्या देवी वगैरा।
(2) (एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या-1334/2007)
श्रीमती भगवती देवी वगैरा। बनाम छोटू राम वगैरा
(3) (एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या-1742/2007)

31.10.2012

माननीय न्यायाधिपति श्री महेश चन्द्र शर्मा

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल, अधिवक्ता मय
श्री विनोद त्यागी अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी/प्रत्यर्थी/बीमा कम्पनी।
श्री संदीप माथुर, अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी/दावेदारान की ओर से।

---

(1) यह तीनों सिविल विविध अपीलें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं सेशन न्यायाधीश (त्वरित) क्रम-3, जयपुर जिला-जयपुर(जिसे आगे चलकर **'अधिकरण'** ' लिखा जावेगा)द्वारा पारित पंचाट दिनांक- 16.03.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। यह तीनों अपीलें एक ही दुर्घटना से सम्बन्धित हैं तथा एक ही आक्षेपित पंचाट के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है अत: इन तीनो अपीलों पर एक साथ सुनवाई कर इन्हें एक ही आदेश से निर्णीत किया जा रहा है। अपील संख्या-1742/2007 दावेदारान के द्वारा उन्हें अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि को न्यून कथित करते हुए उसमें अभिवृद्धि की याचना के साथ प्रस्तुत की गई हैं वही अपील संख्या-1333/2007 व 1334/2007 में बीमा कम्पनी द्वारा अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित पंचाट को विभिन्न कोणों से चुनौती देते हुए उसे निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

(2) संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि मृतका दिनांक-21.3.2003 को घटित दुर्घटना के सम्बन्ध में जिसमें हरिनारायण व रामजीलाल मोटर साईकिल संख्या-R.J. 14 22 M-9356 से हिण्डौन से ग्राम आँधी जा रहे थे कि चालाना बालाजी,रामपुरा के पास ट्रक संख्या-R.J.14G-4743 को उसका चालक तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए आयाऔर मोटर साईकिल के टक्कर मारी जिससे वह दोनों गिर गये और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई जिसके फलस्वरूप उनके विधिक उत्तराधिकारियों/दावेदारान ने क्षतिपूर्ति राशि हेतु अधिकरण के समक्ष क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके प्रतिपक्ष को अधिकरण द्वारा नोटिस जारी किए गये। प्रतिपक्ष की ओर से क्लेम आवेदन का उत्तर प्रस्तुत किया गया। अधिकरण द्वारा पक्षकारों के अभिवचनों के आधारपर प्रकरण में पाँच वाद बिन्दूओं की संरचना की गई। अधिकरण ने वाद बिन्दू का निर्णय दावेदारान के पक्ष में करते हुए उनके पक्ष में क्लेम प्रार्थना पत्र संख्या-328/2006 में 4,55,000/-रूपये का तथा क्लेम प्रार्थना पत्र संख्या- 329/2006 में 8,12,000/-रूपये राशि का पंचाट पारित किया।क्लेम प्रार्थना पत्र संख्या- 329/2006 में दावेदारान को दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि को न्यून कथित करते हुए दावेदारान ने अपील संख्या-1742/2007 में चुनौती देते हुए उसमें अभिवृद्धि की प्रार्थना की गई है।

(3) विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/दावेदारान श्री संदीप माथुर ने सरल एवं सूक्ष्य रूप में न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि न्यायाधिकरण ने प्रकरण का निस्तारण करते समय विधि की अपेक्षित अपेक्षाओं तथा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा विभिन्न विनिर्णयों में समय समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर बनी सुव्यवस्थित विधि को दृष्टिगत नहीं रखा है। उनका यह भी कथन है कि अधिकरण ने अभिलेख पर आई प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य को विस्तार पूर्वक विवेचित एवं विश्लेषित करते हुए आक्षेपित निष्कर्ष नहीं निकाले है।उनका कथन

है कि मृतक की आयु के हिसाब से क्षतिपूर्ति राशि का आंकलन नहीं किया गया है साथ ही क्षतिपूर्ति राशि का आकंलन करते समय सही गुणक का प्रयोग किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है न ही मृतक की भविष्य की सम्भावनाओं को ही आक्षेपित निष्कर्ष निकालते समय दृष्टिगत रखा है अत: अधिकरण द्वारा अपीलार्थी/दावेदारान को दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि न्यून है जिसमें अभिवृद्धि किया जाना अपेक्षित है। इसके विपरीत अपीलार्थी बीमा कम्पनी का कथन है कि प्रश्नगत दुर्घटना में दावेदारान की ओर से प्राथमिकी अनजान वाहन के विरूद्ध पंजीबद्ध करवाई गई थी बाद में दावेदारान द्वारा पुलिस से साठगांठ कर प्रश्नगत वाहन को दुर्घटना में लिप्त किया गया है। उनका यह भी कथन है कि दावेदारान पक्ष के साक्षियों की साक्ष्य में महत्वपूर्ण विरोधाभाष है। उनका यह भी कथन है कि अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि अधिक है एवं एतदर्थ प्रयुक्त किया गया गुणक का प्रयोग भी अधिक है तथा बिना युक्तियुक्त कारण में भविष्य की सम्भावनों के मद में पच्चीस प्रतिशत राशि और दिलवा दी गई है।उन्होंने विभिन्न अन्य तर्क प्रस्तुत करते हुए अन्त में बीमा कम्पनी की अपीलें स्वीकार करते हुए दावेदारान की अपील निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

(4) उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना गया तथा अभिलेख का गहनता पूर्वक परीक्षण किया गया।

(5) मेरे विनम्र मत में अधिकरण ने अभिलेख पर आई साक्ष्य को विस्तार पूर्वक विवेचित एवं विश्लेषित करते हुए आक्षेपित निष्कर्ष निकाले है एवं विधि की अपेक्षित अपेक्षाओं को पूर्णरूप से ध्यान में रखते हुए आक्षेपित पंचाट पारित किया है।यह स्वीकृत तथ्य है कि वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन बीमा कम्पनी के यहाँ बीमित था, ऐसे में अधिकरण द्वारा जो अभिलेख पर आई साक्ष्य को विवेचित एवं विश्लेषित करते हुए क्षतिपूर्ति राशि को जो

आंकलन किया गया है वह युक्तियुक्त प्रतीत होता है जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता।

(6) परिणामत: दावेदारान एवं बीमा कम्पनी दोनों की ओर से प्रस्तुत यह तीनों सिविल विविध अपीलें निरस्त की जाती हैं। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं सेशन न्यायाधीश (त्वरित) क्रम-3, जयपुर जिला-जयपुर द्वारा पारित पंचाट दिनांक- 16.03.2007 की पुष्टि की जाती है।

(न्या. महेश चन्द्र शर्मा)

एमसीएस.

"All corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being emailed"

Mahesh Chandra Sharma

P. S.